<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-03/2021/जिला भीलवाड़ा

1. नारायण पिता मगना गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी बडला पटवार हल्का अरवड़ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

2. महावीर पिता मगना गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी बडला पटवार हल्का अरवड़ा, तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांटस

बनाम

1. अमरनाथ पिता कंवरनाथ कालबेलिया, उम्र वयस्क, निवासी कालबेलिया का झोपड़ा सरदारपुरा, तहसील फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान अपर जिला कलक्टर भीलवाड़ा, दिनांक 31.07.2019 जो अपील संख्या 26/2019 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:—श्री बी0आर0चौधरी(वकील अपी0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

<u>निर्णय</u> दिनांकः—04.08.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा कृषि प्रयोजनाथ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के यहा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार ग्राम बड़ला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में खसरा नम्बर 663 रकबा 17.96 हे0 सिवायचक सरकारी भूमि है। उक्त आराजी के 1.50 हे0 भूमि पर अपीलांट के स्वर्गीय पिता मगना के जीवनकाल से ही एवं अब अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा काफी पैसा खर्च करके भूमि को उपजाऊ बनाया है। मगर भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक [illegible] को खसरा नम्बर 663 में से 0.25 हे0 भूमि रेस्पो0 नम्बर 1 अमरनाथ पिता कंवरनाथ कालबेलिया को कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटित कर दी वह त्रुटिपूर्ण है और निरस्त योग्य है। अधनीस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई हेतु विपक्षीगण को सूचनापत्र जारी किया था। प्रकरण तामील की स्टेज पर विचाराधीन था मगर दिनांक 31.07.2019 को प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। न्यायालय में दिनांक 21.09.2020 को जब जानकारी प्राप्त की गई तो बताया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2019 को ही अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2019 खारिज योग्य है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर अवधि में है। अंत में निवेदन कि आदेश दिनांक 31.07.2019 निरस्त किया जायें तथा रेस्पो0 1 के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 18.02.2013 को निरस्त किया जायें तथा अपीलांट के पक्ष में भूमि आवंटन किया जाने का आदेश किया जायें। उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। साथ ही प्रकरण संख्या 17/2020 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा की ऑर्डरशीट दिनांक 14.06.2019, 04.07.2019 एवं 29.07.2019 प्रस्तुत किये। अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड मंगवाया जाकर प्राप्त किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

रेस्पो0 1 को तामील हो चुकी है। बहस के दौरान मगर वह अनुपस्थित रहा।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया किया कि रेस्पो0 1 के पक्ष में गलत निर्णय किया गया है। रेस्पो0 1 का खातेदारी में नाम दर्ज है। जबकि भूमि पर अन्य काबिज है। हमारे द्वारा ही 14(4) में ए0डी0एम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। मगर अदम हाजरी में प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। फिर हमारे द्वारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी में प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लगाया गया।

राजकीय अभि0 द्वारा बहस में बताया गया कि अपीलांट को अपील नहीं करनी चाहिए थी अपितु निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1/2018 दिनांक 05.01.2018 को दर्ज करवाया गया। उक्त प्रकरण के प्रोसिडिंग दिनांक 14.04.2019 के अनुसार दिनांक 24.04.2019 को अपीलांट वकील वहां उपस्थित था। अगली पेशी दिनांक 13.06.2019 को दी गई थी। दिनांक 13.06.2019 के बाद पेशी दिनांक 04.07.2019 को हुई। दिनांक 04.07.2019 को अपीलांट व अपीलांट के वकील उपस्थित नहीं हुए तथा अपीलांट दिनांक 31.07.2019 को अपीलांट व उनके अभि0 के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी तथा अदम हाजिरी में खारिज किया गया।

अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पत्रावली पर दिया जाना पाया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2019 को मार्क किया हुआ है। जिसमें उनके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष यह प्रार्थना की गई है कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 31.07.2019 के आदेश को निरस्त कर धारा 14(4) के प्रार्थना पत्र को रिस्टोर किया जायें। आदेश 9 नियम 9 सीपीसी का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी। उसे समय उसकी अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण था तो न्यायालय खारिजी को अपास्त करने का आदेश दे सकता है और बाद में आगे की कार्यवाही तय करने के लिए दिन नियत करेगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2019 को प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में अपीलांट को एवं उसके वकील के अनुपस्थित रहने पर खारिज कर दिया था। जिस हेतु अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 9 के तहत रिस्टोरेसन की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया हुआ है। मगर इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। यह अपीलांट द्वारा नहीं बताया गया है। राज्य सरकार के नये नोटिफिकेशन`से भूमि आवंटन निरस्तीकरण प्रकरणों में अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त हुआ है मगर हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन निरस्तीकरण बाबत कोई निर्णय दिया गया हो ,पत्रावली पर इससे संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के अदम पैरवी अदम हाजिरी में प्रार्थना पत्र के खारिज किये जाने के आदेश दिनांक 31.07.2019 के किये जाने के विरूद्ध या तो निगरानी करनी चाहिए थी या उसी न्यायालय में रिस्टोरेशन बाबत कार्यवाही करनी चाहिए थी। अपीलांट का प्रकरण चूंकि इस स्टेज पर मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 31.07.2019 (अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज प्रार्थना पत्र) मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:47 IST
Reason: SelfAttested